अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रक्रिया–2011 में शामिल होने के लिए विद्यार्थी एवं अभिभावक को ध्यान देने योग्य बिन्दु

- विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा BE/B.Arch./ B.Pharmacy /D.Pharmacy / Diploma (PPT Courses) / Diploma (Non-PPT Courses)/ME-MTech./M.Pharma./Latrel Entry-(BE/B.Pharma.)/MBA/MCA प्रवेश ऑनलाईन किये जाते हैं।

- ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से उपरोक्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम/निर्देश/काउंसलिंग–प्रक्रिया/विज्ञापन/समय–सारणी/गतवर्ष के कट–ऑफ अंक/सहायता केन्द्रों की सूची/पाठ्यक्रम वार संस्थाओं की सूची, इत्यादि वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।

- काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों का अध्ययन कर लें। संशय की स्थिति में अपने निकट के सहायता केन्द्रों पर संपर्क करें।

- जिन संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन संस्थाओं की समस्त जानकारी प्रवेश के पूर्व प्राप्त कर लें एवं उन संस्थाओं को अपनी च्वाइस फिलिंग के समय प्राथमिकताक्रम में बहुत सोच समझ कर पूर्णतः स्वविवेक से भरे। कम्प्युटर पर च्वाईस भरने के पूर्व संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम सूची तैयार रखें और सूची अनुसार कम्प्युटर पर लॉगइन कर अपनी च्वाईस भरें तथा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत च्वाईस लॉक करने की अंतिम तिथि के पूर्व लॉक करें। शुल्क भुगतान करने के बाद आप अपनी प्राथमिकताक्रम/च्वाईस में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

- किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आवें, संस्थाओं की संक्षिप्त प्रोफाइल वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mponlive.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

- काउंसलिंग के पंजीयन (Registration) हेतु ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें।

- निजी संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क का निर्धारण ''प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश'' द्वारा किया जाता है, फीस की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- उम्मीदवार अपने घर से अथवा शासकीय सहायता केन्द्रों से भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हों।

- मूल दस्तावेज सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में जमा नहीं करना है। मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। आवंटित संस्था में केवल फोटोप्रति जमा करनी है।

- ऑनलाइन पंजीयन, सत्यापन, ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग, आवंटन पत्र तथा संस्था में रिर्पोटिंग के पश्चात् आदि की ऑनलाइन पावती अवश्य प्राप्त करें एवं संभाल कर रखें।

- ऑनलाईन काउंसलिंग की पंजीयन (Registration) प्रक्रिया के समय प्राप्त **पासवर्ड** को सुरक्षित एवं गोपनीय रखें तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें । किसी भी परिस्थिति में अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएं।

अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश